THINK IAS JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY CURRENT नामा

24 अगस्त

9875170111
SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-II: भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पहली बार अपराध करने वाले ऐसे अपराधी जिन्होंने विचाराधीन कैदी के रूप में अपनी अधिकतम संभावित सजा का एक तिहाई या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है, वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के तहत जमानत के हकदार हैं।
- न्यायालय का आदेश इस प्रावधान का लाभ पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाता है, जिसका अर्थ है कि यह 1 जुलाई, 2024 को बीएनएसएस के प्रभावी होने से पहले के मामलों पर भी लागू होता है।

पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत में जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने धारा 479 के तहत पात्र लोगों के लिए जमानत आवेदनों पर समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र ने इस प्रावधान के पूर्वव्यापी आवेदन का समर्थन किया, जिससे देश की जेल प्रणाली पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस)

- शुरूआत: बीएनएसएस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के स्थान पर लाया गया और यह 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई। बीएनएसएस का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने और भीड़भाड़ वाली जेलों के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान हैं।

बीएनएसएस की धारा 479:

- बीएनएसएस की धारा 479 एक प्रमुख प्रावधान है जो उन विचाराधीन कैदियों को जमानत प्रदान करती है जिन्होंने जांच, पूछताछ या परीक्षण की अवधि के दौरान अपनी अधिकतम संभावित सजा का एक निश्चित हिस्सा पूरा कर लिया है। पहली बार अपराध करने वालों के लिए, यह प्रावधान जमानत की अनुमति देता है यदि उन्होंने अपराध के लिए कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है। हालाँकि, यह प्रावधान उन गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होता है जिनमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होती है।

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479

समाधान

1. जमानत प्रक्रिया में तेजी: जेल अधीक्षकों को तीन महीने के भीतर जमानत आवेदनों पर कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जेल में कैदियों की भीड़ कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
2. न्यायिक सुधार: देरी से न्याय मिलने की समस्या से निपटने के लिए व्यापक न्यायिक सुधार की जरूरत है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, अदालती ढांचे में सुधार करना और लंबित मामलों को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अपनाना शामिल है।
3. नियमित निगरानी: धारा 479 और इसी तरह के प्रावधानों के कार्यान्वयन की न्यायिक और सरकारी निकायों द्वारा नियमित निगरानी की जानी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की संख्या और जेल में कैदियों की भीड़ पर पड़ने वाले प्रभाव की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
4. भारत में कानूनी सहायता: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) भारत में पात्र विचाराधीन कैदियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NALSA की पहुँच को मज़बूत करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो, धारा 479 के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. जेलों में भीड़भाड़: जनहित याचिका द्वारा उजागर की गई प्रमुख चुनौतियों में से एक भारत में जेलों में भीड़भाड़ है। जेलों में बंद 70% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई पहली बार अपराध करने वाले हैं और लंबे समय से सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। जमानत आवेदनों पर समय पर कार्रवाई न होने से यह समस्या और बढ़ जाती है।
2. विलंबित न्याय: भारतीय न्यायिक प्रणाली को मामलों के निपटारे में काफी देरी का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है। यह न केवल 'दोषी साबित होने तक निर्दोष' के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, बल्कि जेलों में भीड़भाड़ को भी बढ़ाता है।
3. कार्यान्वयन में बाधाएँ: जबकि धारा 479 का पूर्वव्यापी आवेदन एक सकारात्मक कदम है, इसका प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। यह सुनिश्चित करना कि पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान की जाए और निर्धारित तीन महीनों के भीतर उनके आवेदनों पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए जेल अधिकारियों, अदालतों और कानूनी सहायता प्रणाली के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
4. जेलों में भीड़भाड़ पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य: संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील सहित कई देशों को भीड़भाड़ वाली जेलों के साथ समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए, गैर-हिंसक अपराधियों और पहली बार अपराध करने वालों के लिए हिरासत के विकल्प की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

धारा 479 के पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। इससे शेष कैदियों के रहने की स्थिति में सुधार होगा और जेल संसाधनों पर बोझ कम हो सकता है।

अन्य खबरें

चर्चा का विषय	महत्वपूर्ण जानकारी
लोथल	• **सुर्खियों में क्यों** – सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास कर रहा है। लोथल नाम गुजराती शब्दों से आया है जिसका अर्थ है "मृतकों का टीला"। स्थान: गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी के किनारे, खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। उल्लेखनीय विशेषताएँ: दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात कृत्रिम डाकयार्ड घरों और सार्वजनिक स्थानों में अग्नि वेदियाँ। पकी ईंटों से बनी उन्नत जल निकासी व्यवस्था। कई मुहरों से युक्त भण्डारगृह। मिट्टी की ईंटों से बने घर। लोथल एक संपन्न व्यापार केंद्र था, जहाँ मोतियों, रत्नों और आभूषणों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक पहुँचता था। **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर** • इसका निर्माण **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के तहत गुजरात के **लोथल** में किया जा रहा है। • **उद्देश्य** - प्राचीन से आधुनिक समय तक भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना, जिसमें शिक्षा-मनोरंजन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा और नवीनतम तकनीक को शामिल किया जाएगा। • यह परियोजना सागरमाला कार्यक्रम का हिस्सा है • **विशेषता** - इस परिसर में एशिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे का समुद्री संग्रहालय और भारत का सबसे भव्य नौसेना संग्रहालय होगा।
रचनात्मक अथव्यवस्था पर अखिल भारतीय पहल (AIICE)	• **सुर्खियों में क्यों** – हाल ही में रचनात्मक अथव्यवस्था पर अखिल भारतीय पहल की शुरुवात की गई। • **किसके द्वारा** -इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स • **उद्देश्य** - यह एक ऐसे मंच की परिकल्पना करता है जहाँ भारत के रचनात्मक उद्योग एक साथ आ सकते हैं और रचनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मामलों पर सहयोग कर सकते हैं। • **किसके द्वारा समर्थित** - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय **रचनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में** • यह एक उभरती हुई अवधारणा है जो मानव रचनात्मकता और विचारों और बौद्धिक संपदा, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है। • इसमें विज्ञापन, वास्तुकला, कला और शिल्प, डिजाइन, फैशन, प्रदर्शन कला, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन आदि शामिल हैं। • स्थिति: भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 30 बिलियन डॉलर की है और इसमें 8% कामकाजी आबादी को रोजगार मिला हुआ है • UNCTAD के अनुसार, वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व उत्पन्न करती है तथा लगभग 50 मिलियन नौकरियों को समर्थन प्रदान करती है।
पीएम-वाणी योजना	• **सुर्खियों में क्यों** – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) से दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा ली जाने वाली ब्रॉडबैंड कनेक्शन दरों में कमी का प्रस्ताव किया है।

	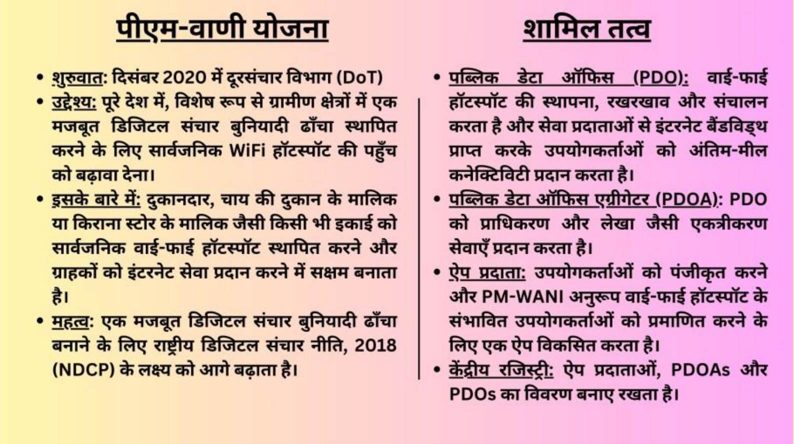 **पीएम-वाणी योजना** • शुरुवात: दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग (DoT) • उद्देश्य: पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए सार्वजनिक WiFi हॉटस्पॉट की पहुँच को बढ़ावा देना। • इसके बारे में: दुकानदार, चाय की दुकान के मालिक या किराना स्टोर के मालिक जैसी किसी भी इकाई को सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। • महत्व: एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (NDCP) के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। **शामिल तत्व** • पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO): वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, रखरखाव और संचालन करता है और सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंडविड्थ प्राप्त करके उपयोगकर्ताओं को अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करता है। • पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA): PDO को प्राधिकरण और लेखा जैसी एकत्रीकरण सेवाएँ प्रदान करता है। • ऐप प्रदाता: उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और PM-WANI अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट के संभावित उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए एक ऐप विकसित करता है। • केंद्रीय रजिस्ट्री: ऐप प्रदाताओं, PDOAs और PDOs का विवरण बनाए रखता है।

हॉर्सशू क्रैब	• **सुर्खियों में क्यों** – भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) और ओडिशा वन विभाग राज्य के तट पर हॉर्सशू केंकड़ों को टैग करने के लिए साथ आए हैं, ताकि उनका संरक्षण और प्रबंधन किया जा सके।
	• **इसके बारे में:** प्राचीन समुद्री आर्थ्रोपोड, जिन्हें "**जीवित जीवाश्म**" के रूप में भी जाना जाता है। यह नरम रेतीले तल वाले उथले तटीय जल में पाए जाते हैं। विशिष्टता: अपने नाम के बावजूद, केकड़ों के बजाय वह बिच्छुओं और मकड़ियों से अधिक निकटता से संबंधित हैं।
	
	• **प्रजातियाँ:**
	  ○ **अमेरिकी हॉर्सशू केकड़ा:** संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट और मैक्सिको की खाड़ी में; संकटग्रस्त (IUCN)।
	  ○ **त्रि-स्पाइन हॉर्सशू केकड़ा:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली लुप्तप्राय प्रजातियाँ।
	  ○ **तटीय हॉर्सशू केकड़ा: भारत**, दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और जापान के तटीय जल में पाई जाने वाली इंडो-पैसिफिक प्रजाति।
	  ○ **मैंग्रोव हॉर्सशू केकड़ा:** पश्चिम **बंगाल** के **सुंदरबन** मैंग्रोव और इंडो-पैसिफिक के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रजाति।
	• **भारत की प्रजातियाँ:** टैचीप्लस गिगास और कार्सिनोस्कॉर्पियस रोटुंडिकाडा उत्तर-पूर्वी तट पर, विशेष रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं।
	• **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** स्थिति: अनुसूची IV.
	• **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:**
	  ○ अमेरिकी हॉर्सशू केकड़ा: संकटग्रस्त
	  ○ त्रि-रीढ़ हॉर्सशू केकड़ा: संकटग्रस्त
	  ○ तटीय और मैंग्रोव हॉर्सशू केकड़े: डेटा की कमी।

जेंटू पेंगुइन	**सुर्खियों में क्यों** – सी लाइफ सिडनी एक्वेरियम ने प्रसिद्ध समलैंगिक जेंटू

	पेंगुइन जोड़े में से एक स्फेन की मृत्यु की घोषणा की। अपने साथी मैजिक के साथ गहरे रिश्ते के लिए मशहूर स्फेन ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया था।
गोंग्रोनिमा शशिधरनी; पम्पादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान	• ***सुर्खियों में क्यों –*** इडुक्की जिले में पाए गए एक पौधे की पहचान गोंग्रोनिमा जीनस की एक पूरी तरह से नई प्रजाति के रूप में की गई है। यह पहली बार है जब दक्षिण भारत से गोंग्रोनिमा की सूचना मिली है। • ***नामकरण*** - 2019 में **पम्पादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान** में एक सर्वेक्षण के दौरान देखे गए इस पौधे का नाम फ्लोरिस्टिक्स में उनके योगदान के लिए केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची के पूर्व वैज्ञानिक **एन. शशिधरन** के नाम पर **गोंग्रोनिमा शशिधरनी** रखा गया है। ***गोंग्रोनिमा शशिधरनी के बारे में:*** • केरल के इडुक्की जिले के पम्पादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई एक नई प्रजाति। • ***दिखावट:*** चिकने तने और छोटे कलश के आकार के सफेद से बैंगनी-हरे फूलों वाला एक पौधा। • ***भारत में गोंग्रोनिमा जीनस की प्रजातियाँ:*** पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली 3 प्रजातियाँ। ***पम्पादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में*** • ***स्थान:*** केरल के इडुक्की जिले में दक्षिणी पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर । • ***क्षेत्रफल:*** ~ 12 वर्ग किमी • ***पम्पादुम शोला का शाब्दिक अर्थ:*** वह जंगल जहाँ साँप नाचता है • ***जलवायु:*** पूरे वर्ष धुंध और बादल छाए रहते हैं, और उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान भारी बारिश होती है।

	• **वनस्पति:** सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शोला घास के मैदान और अर्ध-सदाबहार।
हम्पी और विजयनगर साम्राज्य	**हम्पी** **विजयनगर साम्राज्य** • **स्थापना:** 14वीं शताब्दी (1336 ई.) संगमा वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा। • **राजधानी:** हम्पी • **विस्तार:** उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक। • **4 राजवंशों द्वारा शासित:** ○ संगम --- सलुवा --- तुलुवा --- अरविदु • **प्रमुख शासक:** कृष्णदेवराय (शासनकाल 1509-29)
विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)	• **सुर्खियों में क्यों –** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने हाल ही में विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) के लिए 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज – सीजन 1' के हिस्से के रूप में 25 चुनौतियां लॉन्च कीं। • **इसके बारे में:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। • **संस्करण:** 20-24 नवंबर 2024 को गोवा में पहला संस्करण। • **नोडल एजेंसी:** एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा • **अन्य भागीदार:** फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)। • विकसित मीडिया और मनोरंजन उद्योग के भीतर संवाद, व्यापार सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

- मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में भारत को प्रदर्शित करेगा।

</td>
</tr>
<tr>
<td>मार्सयांगडी नदी</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>रेल फोर्स वन</td>
<td>

- सुर्खियों में क्यों – प्रधानमंत्री हाल ही में पोलैंड से ट्रेन द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जो सरकार के मुखिया के लिए परिवहन का एक असामान्य तरीका है। हालांकि इसका इस्तेमाल पहले भी अन्य वैश्विक नेताओं द्वारा किया जा चुका है।

रेल फोर्स वन ट्रेन के बारे में

- स्वामित्व: राज्य के स्वामित्व वाली यूक्रेनी रेलवे या उक्रज़ालिज़्नित्सिया द्वारा संचालित।
- प्रारंभिक उपयोग: अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित रेडियो फ्री यूरोप की एक रिपोर्ट के अनुसार, काले सागर पर प्रायद्वीप में धनी पर्यटकों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- यात्रा: ट्रेन की 10 घंटे की, 700 किलोमीटर की यात्रा पोलैंड के प्रेज़ेमिस्ल ग्लोनी स्टेशन से शुरू होती है, जो वारसॉ से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में, यूक्रेन के साथ देश की सीमा के करीब स्थित है, और कीव में समाप्त होती है।
- ट्रेन द्वारा कीव की यात्रा करने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति: पोलैंड, स्लोवेनिया और चेक गणराज्य के प्रधान मंत्री।

</td>
</tr>
<tr>
<td>भीष्म (सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) क्यूब्स</td>
<td>

- इसके बारे में: आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल मेडिकल इकाइयाँ।
- अम्ब्रेला परियोजना: प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री
- आरोग्य मैत्री परियोजना: इसमें भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधन प्रदान करता है।
- भीष्म क्यूब की क्षमताएँ: 200 तक हताहतों का इलाज कर सकता है। यह त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर देता है।

</td>
</tr>
</table>

	विशेषताएं एक बुनियादी ऑपरेशन रूम (ओआर) के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से सुसज्जित, जो प्रतिदिन 10-15 सर्जरी करने में सक्षम है। अपनी खुद की बिजली पैदा कर सकता है और सीमित मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन भी कर सकता है तत्काल देखभाल के लिए आवश्यक दवाओं और उपकरणों से युक्त एक स्व-निहित चिकित्सा सुविधा। क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है।

सम्यक्
An Institute for Civil Services